उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd. (UPNL)
(Undertaking of Uttarakhand Government)
(CIN-U91200UR2004PLC028357)
Andaman Road,Garhi Cantt Dehradun -248003, Ph: 0135-2752178,0135-2750913, Fax: 01352754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : billing@upnl.net, salary@upnl.net, salary@upnl.co.in, info@upnl.co.in

पंत्राक : 1050 / नियमावली / उपनल

12 मई 2023

सेवा में,

समस्त विभाग
उत्तराखण्ड।

विषय : उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. कृप्या उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 654//XVII-C-1/2023-9(17)/2004 टी0सी0–2 दिनांक 10 मई 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित संविदा कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह "प्रोत्साहन भत्ते" की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये है।

2. तदानुसार उपनल द्वारा प्रायोजित संविदा कार्मिकों को उत्तराखण्ड शासनादेश 735/XVII-5/ 2020-09(17)/ 2004-TC-1 दिनांक 21 अगस्त 2020 में दिये गये **वेतन** एवं शासनादेश संख्या 654//XVII-C-1/2023-9(17)/2004 टी0सी0–2 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये **प्रोत्साहन भत्ते** का भुगतान **संयुक्त रूप से मई 2023 से प्रतिमाह** किया जायेगा। तदक्रम में वेतन एवं प्रोत्साहन भत्ते का संयुक्त बीजक, विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई उपस्थिति के आधार पर विभागों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त संदर्भ में विभागों से अनुरोध है कि वे कार्मिकों की उपस्थिति का विवरण निम्न आधार पर पृथक–पृथक उपलब्ध करायें:–

(क) कार्मिक (सेवाकाल 10 वर्ष तक के अनुभव पर) की उपस्थिति।

(ख) कार्मिक (सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर) की उपस्थिति।

3. अप्रैल 2023 तक के प्रोत्साहन भत्ते का बीजक पूर्व शासनादेश के आधार पर, विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई उपस्थिति के आधार पर विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
मनोज
कर्नल मनोज रावत (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक

संलग्नक : (यथोपरि)।

प्रतिलिपि :–

अनु सचिव, सैनिक कल्याण अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
क्षेत्रीय परियोजना कार्यालय हल्द्वानी को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
आंतरिक :–
समस्त अनुभाग, उपनल मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मनोज
कर्नल मनोज रावत (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक

संख्या : 654/ XVII-C-1 / 2023–9(17) / 2004टी0सी0–2

प्रेषक

दीपेन्द्र कुमार चौधरी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1 समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2 मण्डलायुक्त गढ़वाल / कुमाऊं मण्डल।

3 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

5 प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण
निगम लि0 (उपनल) देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग **देहरादून : दिनांक : मई, 2023**

विषय :– **उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते की धनराशि को प्रतिमाह भुगतान किये जाने के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या 1929 / XVII-C-1 / 2021–9(17) / 2004 टी0सी0–2 दिनांक 06.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह ''प्रोत्साहन भत्ते'' की धनराशि को भुगतान करने के आदेश पारित किये गये हैं।

2– मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 06.01.2022 के प्रस्तर–1 में अंकित तालिका को संशोधित करते हुए, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से तीन माह के स्थान पर आनुपातिक रूप से प्रतिमाह देय ''प्रोत्साहन भत्ते'' की धनराशि को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क.सं.	विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि
1	कार्मिकों को देय प्रोत्साहन / विशेष भत्ता राशि	रूपये 4,800.00	रूपये 5,800.00
2	ई0एस0आई0 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय)	रूपये 156.00	रूपये 189.00
3	योग (क.सं. 1 & 2)	रूपये 4,956.00	रूपये 5,989.00
4	सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत (क.सं. 3 का)	रूपये 124.00	रूपये 150.00
5	योग (क.सं. 3 & 4)	रूपये 5,080.00	रूपये 6,139.00
6	G.S.T. 18 प्रतिशत (क.सं. 5 का)	रूपये 914.00	रूपये 1,105.00
7	मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि का योग (क. सं. 5 & 6 का)	रूपये **5,994.00**	रूपये **7,244.00**

3 – शासनादेश संख्या–1929 दिनांक 06.01.2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा उक्त के शेष प्रतिबंध / शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section

I/120794/2023

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0 संख्या–I/118063/2023(Computer No. 16329) दिनांक 28.04.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-05-2023 12:44:30

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या : / XVII-C-1 / 2023—9(17) / 2004टी0सी0—2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1 वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2 वरिष्ठ निजी सचिव, सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3 वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4 महालेखाकार (उत्तराखण्ड) कौलागढ़, देहरादून।
5 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6 अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग—1, 02 एवं 03, उत्तराखण्ड शासन।
7 अनुभाग अधिकारी, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार सिंह)
उप सचिव।

Generated from eOffice by ARVIND KUMAR DIWAKAR, SO-Soldier Welfare Section-AKD, SECTION OFFICER, Soldier Welfare Department on 10/05/2023 06:11 PI